

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राज. जयपुर)

क्रमांक एफ7(170)निजभूस/प्रशि./2013-14/1173-1474 दिनांक:- 24.5.2013

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार स्वयं सेवी संगठनों को आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्धि कार्य आवंटन के बावत जारी आदेश क्रमांक एफ7(170)निजभूस/प्रशि./2013-14/751-1056 दिनांक 1.5.2013 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

Handwritten signature
निदेशक

क्रमांक ए7(170)निजभूस/प्रशि./2013-14/1173-1474 दिनांक 24.5.2013
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए., राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर.....।
5. सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
6. सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर.....।
7. सम्बन्धित परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी(सहायक अभियन्ता).....।
8. सम्बन्धित एन.जी.ओ.।

Kindly upload on web-site

Handwritten signature
AGI

Handwritten signature
निदेशक